को स्थापित करने में निजी क्षेत्र सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में से 800 मेवा० से ज्यादा की परियोजनाएं निजी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। ये परियोजनाएं उद्योगों द्वारा मुख्यतया अपनी कैप्टिव विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित की गई हैं। फिर भी, कतिपय परियोजनाओं में, विद्युत राज्य विद्युत बोर्डों या तीसरी पार्टी को भी बेची जा रही है। ये परियोजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सुलझाई जाती हैं।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

2742. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन चक्की और सौर ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने वाले साधन सस्ते हैं तथा देश में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों पर जहां पवन चक्कियां तथा सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो सकती है, तुलनात्मक रूप से अधिक लागत पर विद्युत उत्पादन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे स्थानों पर गैर-पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (2) पवन और सौर ऊर्जा जैसे अपरांपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत परंपरागत विद्युत की तुलना में फिलहाल अपेक्षाकृत ज्यादा है। फिर भी, यदि सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक राज सहायताओं, पर्यावरणीय और अन्य सामाजिक मूल्यों तथा बाह्यताओं को शामिल करके परंपरागतविद्युत की पूरी लागत को हिसाब में लिया जाए तो जीवन चक्र मूल्यों पर अपरांपरिक विद्युत उत्पादन की लागत परंपरागत विद्युत की तुलना में अनुकूल पड़ती है। सौर ऊर्जा या पवन संसाधनों से विद्युत उत्पादन स्थल-विशिष्ट है और न्यून क्षमता वाली है। यह परंपरागत ग्रिड विद्युत की प्रभावपूर्ण ढंग से आपूर्ति कर सकती है।

(ग) और (घ) देश में सौर, पवन, बायोमास और लघुपन विद्युत संसाधनों पर आधारित लगभग 1100 मेवा० समग्र क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। विभिन्न राज्यों में आगे की क्षमताओं की योजना बनाई जा रही है। ये परियोजनाएं राज्यों में वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और नीतियों पर निर्भर करेंगी।

Wind Power Projects in Maharashtra

2743. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) the number of wind power projects installed in Maharashtra, with details of location and capacity thereof;

(b) whether Government propose to increase the number of wind power projects and set up such project in that State, particularly in Nagpur; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) The details of wind power projects installed in Maharashtra are given below:

Location	Capacity
Deogad (Sindhudurg Distt.)	1.100 MW
Vijaydurg (Sindhudurg Distt.)	1.500 MW
Chalkewadi (Satara Distt.)	2.770 MW

(b) and (c) Under the National Wind Resource Assessment Programme, eight sites have been identified in the State of Maharashtra so far which are considered suitable for wind power generation. No potential sites have been identified in the Nagpur region so far. Further, projects in the State will depend on techno-economic viability and the policies of the State Government to encourage commercial developments.

Commercial Solar power projects in the country

2744. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration for establishing large-scale commercial solar power projects in the country, particularly in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) to (c) Grid

officers who are one level below the Board of Nationalised Banks, the CBI requires prior sanction of the Secretary of the administrative Ministry before initiating investigation. This is to prevent investigation into vexatious, frivolous and malicious complaints, which would demoralise officers at senior levels on the one hand and enable the CBI on the other to concentrate its attention on cases of serious nature.

अभ्यावेदनों/आवेदनों के संबंध में कार्यवाही न किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारी

2746. **श्री नागमणि:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय अधिकारियों को अभ्यावेदनों/ज्ञापनों एवं आवेदनों के संबंध में नियमों के अनुरूप कार्यवाही न किये जाने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रहमण्यन): (क) से (ग) लोक शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे लोक शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखें और किये गये निपटान की तिमाही रूप से समीक्षा करें। आवेदनों को तत्काल निपटाने और शिष्टाचार दिखाने तथा ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्य के निपटान में विलंबकारी तरीके अपनाएं और जानबूझकर विलंब करें, अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं। लोक शिकायतों की पावती भेजने/अंतिम रूप से उनका निपटान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में भी केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में प्रावधान किए गये हैं। इस संबंध में अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। इस बारे में कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित कोई आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

Termination of extension of Central Government Officers

2747. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answers to unstarred Questions 105 and 1345 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 1996 and the 6th March, 1997, respectively, and state:

(a) whether Government propose to review the decision to grant extension to officers in Central Government Ministries/Departments and terminate extensions given to them; if not, the reasons therefor; and

(b) whether Government are contemplating to give extensions to the Officers of the rank of Joint Secretary and above who are going to superannuate in the near future; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) No, Sir. Extensions in service have been granted in the public interest.

(b) No, Sir.

CBI investigation into failure to apprehend Ottavio Quattrocchi

2748. SHRI ASHOK MITRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Bureau of Investigation would be asked to investigate into the reasons and circumstances leading to failure to apprehend or interrogate the italian citizen, Ottavio Quattrocchi, in July, 1993, despite disclosure of facts